भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2438
जिसका उत्तर मंगलवार 2 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहन

2438. श्री दिनेश त्रिवेदी:
श्री शिवकुमार उदासि:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में वर्ष 2030 तक सभी वाहनों को विद्युत चालित वाहन बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने विद्युत चालित वाहनों की बिक्री की गई है; और

(ग) देश में विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : देश में वर्ष 2030 तक सभी वाहनों को विद्युत चालित वाहन बनाने की भारी उद्योग विभाग की फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) : गत तीन वर्षों के दौरान फेम-इंडिया स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्राप्त वाहनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

(ग) : भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने फेम-इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है, जिसका उद्देश्य हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और इसके विनिर्माणकारी पारिस्थितिकी-तंत्र को सहायता प्रदान करना है ताकि आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इस स्कीम के चार फोकस क्षेत्र हैं, यथा-प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना।

मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार सृजित करने का लक्ष्य वाहनों के सभी सेगमेन्टों अर्थात- दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह मांग प्रोत्साहन क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं) को क्रय मूल्य में शुरुआती कटौती के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग इन वाहनों को व्यापक रूप से अपनाएं।

इसके अतिरिक्त, अलग-अलग फोकस क्षेत्रों अर्थात प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान एवं विकास); प्रायोगिक परियोजनाएं; चार्जिंग अवसंरचना के अंतर्गत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं/प्रस्तावों का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।

*****

अनुबंध

फेम-इंडिया स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्राप्त वाहनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा				
राज्य	**सहायता प्राप्त वाहनों की कुल संख्या**			**सकल योग**
	2015-16	**2016-17**	**2017-18 (नवंबर, 2017)**	**अप्रैल, 15 से नवंबर, 17**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	46	29	----------	**75**
आंध्र प्रदेश	1351	2899	774	**5024**
असम	81	186	323	**590**
बिहार	371	414	477	**1262**
चंडीगढ़	633	1013	320	**1966**
छत्तीसगढ़	469	926	569	**1964**
दादरा और नगर हवेली	178	626	--------	**804**
दिल्ली	4200	10961	1624	**16785**
गोवा	137	334	3	**474**
गुजरात	7846	13686	3201	**24733**
हरियाणा	1978	4030	3240	**9248**
हिमाचल प्रदेश	22	69	--------	**91**
जम्मू और कश्मीर	65	117	57	**239**
झारखंड	257	501	144	**902**
कर्नाटक	3512	5488	969	**9969**
केरल	2744	4647	1077	**8468**
मध्य प्रदेश	880	2111	958	**3949**
महाराष्ट्र	8082	13120	1943	**23145**
मणिपुर	10	1	-------	**11**
मेघालय	5	---------	1	**6**
नगालैंड	1	----------	--------	**1**
ओडिशा	333	624	540	**1497**
पुदुचेरी	166	286	73	**525**
पंजाब	1517	2855	441	**4813**
राजस्थान	2413	4576	2336	**9325**
तमिलनाडु	2832	5822	1395	**10049**
तेलंगाना	2290	3919	626	**6835**
त्रिपुरा	2	6	21	**29**
उत्तर प्रदेश	3793	5729	3852	**13374**
उत्तराखंड	839	987	872	**2698**
पश्चिम बंगाल	2911	3834	2309	**9054**
योग:-	**49964**	**89796**	**28145**	**167905**

****